भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

10 MAY 2018

UTTAR PRADESH BC 672453

साम्प्रदायिक सद्भाव COMMUNAL HARMONY

स्मषति–पत्र

(मुरली कृष्णा ऐजूकेशनल ट्रस्ट, एटा – 207001)

अपने पूर्वजों की प्रेरणा से हम निम्न व्यक्ति ने जनसाधारण के लाभार्थ एक सार्वजनिक ट्रस्ट गठित करने का निश्चय किया है। तदनुसार हम निम्नलिखित व्यक्ति, जो यहां स्मषति पत्र में तथा अन्यत्र फाउंडर ट्रस्टी के नाम से जाने जायेंगे ने **मुरली कृष्णा ऐजूकेशनल ट्रस्ट, एटा** के नाम से एक परोपकारी ट्रस्ट का गठन किया है।

265

1000/ 15/5/17 मुरली कृष्णा ऐजूकेशनल ट्रस्ट एटा द्वारा
- तरुण चतुर्वेदी S/o राकेश कुमार M 66
[illegible] (ए)

सन्तोष कान्त स्टाम्प वेन्डर
तहसील एटा
लाइ०न० 16 60
Cu.Code 070000113

सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DZ 962313

1. राकेश कुमार पुत्र स्व0 श्री केदारनाथ वार्ष्णेय, निवासी 66 इन्द्रपुरी, एटा।
2. दिनेश वार्ष्णेय पुत्र स्व0 श्री केदारनाथ वार्ष्णेय, निवासी 71 इन्द्रपुरी, एटा।
3. तरुण कुमार वार्ष्णेय पुत्र श्री राकेश कुमार, निवासी 66 इन्द्रपुरी, एटा।
4. प्रसून कुमार वार्ष्णेय पुत्र श्रीदिनेश वार्ष्णेय, निवासी 71 इन्द्रपुरी, एटा।
5. वरुण कुमार वार्ष्णेय पुत्र श्री राकेश कुमार, निवासी 66 इन्द्रपुरी, एटा।
6. चिराग वार्ष्णेय पुत्र स्व0 श्री राजेश कुमार वार्ष्णेय निवासी डी–5 औद्योगिक आस्थान कासगंज रोड एटा।
7. परिक्षित वार्ष्णेय पुत्र स्व0 श्री राजेश कुमार वार्ष्णेय निवासी डी–5 औद्योगिक आस्थान कासगंज रोड एटा।

1. <u>ट्रस्ट का नाम</u>–

ट्रस्ट का नाम ' **मुरली कृष्णा ऐजूकेशनल ट्रस्ट** ' होगा।

सन्तोष बाबू स्टाम्प बेन्डर
तहसील एटा
Cu.Code 070000119

न्यास पत्र

प्रतिफल- 70000 स्टाम्प शुल्क- 1500 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 1400 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 120 योग : 1520

श्री तरूण वाष्णेय ,
पुत्र श्री राकेश कुमार
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: 66 इन्द्रपुरी एटा

Tarun Varshney

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 17/05/2018 एवं 02:56:26 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रमोद सक्सैना प्रभारी उपनिबंधक
उप निबंधक :सदर
एटा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 632479

2. <u>ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय</u>–

ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय 71 **'इन्द्रपुरी, एटा–207001'** रहेगा।

3. <u>ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र</u>–

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण विश्व होगा।

4. <u>ट्रस्ट के उद्देष्य</u>–

1. जन साधारण को प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा प्रदान किये जाने के लिए प्राथमिक पाठषाला, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय, वाचनालय एवं शोध ा संस्थान आदि स्थापित करना अथवा इस उद्देश्य के लिए किसी अन्य संस्था/शिक्षण संस्थाओं का सहयोग लेना व देना। इस उद्देष्य के लिए किसी भी संस्था/प्रषिक्षण संस्थान से अनुबन्ध करना/मान्यता आदि लेना व देना।

सन्तोष बाबू स्टाम्प वेन्डर
तहसील एटा
ला0नं0 16 ई0
Cu.Code 070000113

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री तरूण वाष्णेय, पुत्र श्री राकेश कुमार

निवासी: 66 इन्द्रपुरी एटा

व्यवसाय: व्यापार

न्यासी 2: 1

श्री चिराग वाष्णेय, पुत्र श्री राजेश कुमार वाष्णेय

निवासी: डी–5 औद्योगिक आस्थान कासगंज रोड एटा

व्यवसाय: व्यापार

न्यासी 2: 2

श्री प्रसून वाष्णेय, पुत्र श्री दिनेश वाष्णेय

निवासी: 71 इन्द्रपुरी एटा

व्यवसाय: व्यापार

न्यासी 2: 3

श्री वरूण वाष्णेय, पुत्र श्री राकेश कुमार

निवासी: 66 इन्द्रपुरी एटा

व्यवसाय: व्यापार

न्यासी 2: 4

श्री परिक्षित वाष्णेय, पुत्र श्री राजेश कुमार वाष्णेय

निवासी: डी–5 औद्योगिक आस्थान कासगंज रोड एटा

व्यवसाय: व्यापार

न्यासी 2: 5

श्री दिनेश वाष्णेय, पुत्र श्री केदारनाथ वाष्णेय

निवासी: 71 इन्द्रपुरी एटा

व्यवसाय: व्यापार

न्यासी 2: 6

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 632480

2. जन साधारण को स्वावलम्बी बनाने के उद्देष्य से औद्योगिक, कृषि तकनीकी एवं अन्य व्यवसायिक शिक्षा का प्रबन्ध करना तथा इस उद्देष्य के लिए अपनी संस्था खोलना अथवा किसी अन्य षिक्षण संस्था का सहयोग लेना व देना। इस उद्देष्य के लिए किसी भी संस्था/प्रषिक्षण संस्थान से अनुबन्ध करना/मान्यता आदि लेना।

3. समाज के पिछड़े व कमजोर वर्गों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाऐं उपलब्ध कराना एवं औशधालय/चिकित्सालय/स्वास्थय जाँच केन्द्र आदि की स्थापना करना।

4. विकलांगों, अनपढ़ों व अन्य निर्धन बच्चों व औरतों को हस्तकला जैसे दरी व कालीन बुनना, ड्राइंग, पेन्टिंग, सिलाई, कढ़ाई व बुनाई, खेती,तकनीकी, व्यवसायिक आदि तथा अन्य इसी प्रकार के कार्य सिखाना, जिससे कि वे स्वावलम्बी व समाज के लिए उपयोगी बन सकें। इस उद्देश्य के लिए अपनी संस्था खोलना अथवा किसी अन्य संस्था का सहयोग लेना व देना। इस उद्देश्य के लिए किसी भी संस्था/प्रशिक्षण संस्थान से अनुबन्ध करना/मान्यता आदि लेना।

श्री राकेश कुमार, पुत्र श्री केदारनाथ वार्ष्णेय

निवासी: 66 इन्द्रपुरी एटा

व्यवसाय: व्यापार

सन्तोष बाबू स्टाम्प वेन्डर
तहसील एटा
ला0नं0 16 80
Cu.Code 070009143

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री शशिकान्त, पुत्र श्री हरनारायन

निवासी: निधोली रोड एटा

व्यवसाय: व्यापार

पहचानकर्ता : 2

श्री इकलेश यादव, पुत्र श्री उदयवीर सिह

निवासी: रामनगर एटा

व्यवसाय: व्यापार

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतःभद्र साक्षियों के निशान अंगुठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

प्रमोद सक्सैना प्रभारी उपनिबंधक
उप निबंधक : सदर
एटा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 633496

5. ट्रस्ट के उक्त वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति एवं आवष्यकतानुसार संस्थाओं के सर्जन एवं उनके संचालन हेतु दान में धन एवं अन्य चल व अचल सम्पत्ति आदि प्राप्त करना।

6. ट्रस्ट के उक्त वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी सरकारी/गैरसरकारी वित्तीय संस्थान अथवा निजी व्यक्ति या संस्थान से उचित ब्याज दर पर ऋण का आदान–प्रदान करना। ट्रस्ट फाउन्डर ट्रस्टियों से भी उचित ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकता है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 633497

7. मानव एवं सामाजिक उत्थान हेतु ऐसा कोई भी कार्य करना, जो इस ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।

5. प्रथम प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकारियों तथा समस्त सदस्यों के नाम, पद, पता तथा व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया :–

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 7 35AA 669122

क्र0	नाम	पद	पता	व्यवसाय
1.	तरूण वार्ष्णेय	अध्यक्ष	66 इन्द्रपुरी एटा	व्यापार
2.	चिराग वार्ष्णेय	उपाध्यक्ष	डी–5 औद्योगिक आस्थान कासगंज रोड एटा	व्यापार
3.	प्रसून वार्ष्णेय	सचिव	71 इन्द्रपुरी एटा	व्यापार
4.	वरूण वार्ष्णेय	उपसचिव	66 इन्द्रपुरी एटा	व्यापार
5.	परिक्षित वार्ष्णेय	कोषाध्यक्ष	डी–5 औद्योगिक आस्थान कासगंज रोड एटा	व्यापार
6.	दिनेश वार्ष्णेय	सदस्य	71 इन्द्रपुरी एटा	व्यापार
7.	राकेश कुमार वार्ष्णेय	सदस्य	66 इन्द्रपुरी एटा	व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 8 35AA 669123

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता उपरोक्त ट्रस्ट के इस स्मृति–पत्र को पंजीकृत कराना चाहते हैं ; अतः माननीय रजिस्ट्रार महोदय इसे पंजीकृत करने की कृपा करें।

क्र0	नाम	हस्ताक्षर
1.	तरूण वार्ष्णेय	Tarun Varshney
2.	चिराग वार्ष्णेय	[signature]
3.	प्रसून वार्ष्णेय	[signature]
4.	वरूण वार्ष्णेय	Varun Varshney
5.	परिक्षित वार्ष्णेय	[signature]
6.	दिनेश वार्ष्णेय	[signature]
7.	राकेश कुमार वार्ष्णेय	[signature]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 9 35AA 669124

नियमावली

(मुरली कष्णा ऐजूकेशनल ट्रस्ट, एटा – 207001)

1. ट्रस्ट का नाम–

   ट्रस्ट का नाम ' **मुरली कृष्णा ऐजूकेशनल ट्रस्ट** ' होगा।

2. ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय–

   ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय 71 'इन्द्रपुरी, एटा–207001' रहेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20 TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH	10	35AA 669125

3. <u>ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र</u>–

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण विश्व होगा।

4. <u>ट्रस्ट के सदस्य</u> –

1. फाउन्डर ट्रस्टी
2. साधारण सदस्य

1. **फाउन्डर ट्रस्टी** –वे सभी 07 (व्यक्ति) व्यक्ति होंगे, जिन्होंने स्मृति–पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं एवं प्रत्येक ने 10000/– (दस हजार) रुपये की धनराशि ट्रस्ट को दान में दी है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 33AD 733875

2. **साधारण सदस्य** –ऐसे भारतीय नागरिक होंगे, जो वयस्क, सचरित्र, स्वस्थ व ट्रस्ट के कार्य में रुचि रखते हों एवं जिनका प्रबन्धकारिणी समिति ने दो तिहाई बहुमत से अनुमोदन कर दिया हो तथा जो धन ट्रस्ट को दान में देगें। साधारण सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा एवं दो वर्ष के उपरान्त वह प्रबन्धकारिणी समिति के द्वारा पुनः अनुमोदित किये जाने पर दो वर्ष के लिए पुनः साधारण सदस्य हो सकते हैं।

5. **फाउन्डर ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य –**

1. फाउन्डर ट्रस्टी, ट्रस्ट का आजीवन सदस्य होगा जब तक कि वह स्वयं इस्तीफा न दे अथवा पागल या विकृतचित्त न हो या फिर कम से कम तीन चौथाई बहुमत के आधार पर भी हटाया जा सकता है।
2. फाउन्डर ट्रस्टी को अपने जीवनकाल में अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करने का अधिकार होगा। अगर फाउन्डर ट्रस्टी अपने जीवनकाल में अपना उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं कर पाता है तो प्रबन्धकारिणी समिति यदि चाहे तो तीन चौथाई बहुमत के आधार पर किसी भी फाउन्डर ट्रस्टी को पद मुक्त कर सकती है अथवा तीन चौथाई बहुमत के आधार पर उक्त फाउन्डर ट्रस्टी के परिवार में से एक सदस्य का चयन कर सकते हैं जोकि उसके पद पर कार्य करेगा। मनोनीत/चयनित सदस्य का ट्रस्ट के उद्देश्यों में आस्थावान होना आवश्यक है। उत्तराधिकारी सदस्य उन समस्त अधिकारों एवं दायित्वों के अधीन होगा, जिनके अधीन मनोनीत करने वाला सदस्य था।

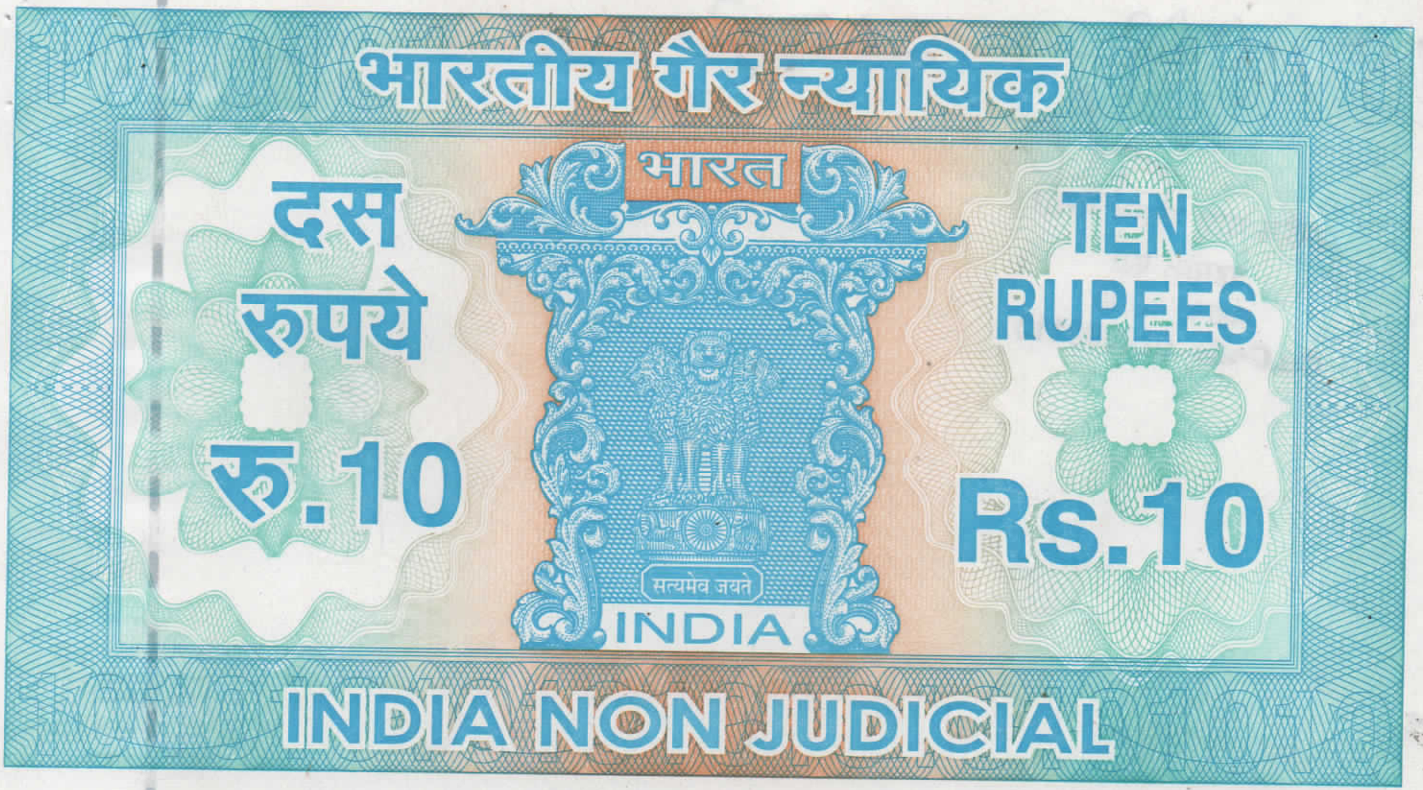

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 33AD 733876

3. फाउन्डर ट्रस्टी, ट्रस्ट के प्रति पूर्ण आस्थावान रहते हुए मानव सेवा को सर्वोपरि महत्व देगा और कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जिससे ट्रस्ट की गरिमा, उद्देश्यों एवं व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़े।

6. साधारण सदस्य के अधिकार एवं कर्तव्य –

1. साधारण सभा में भाग लेने का अधिकार।
2. ट्रस्ट द्वारा सभी संचालित कार्यों में भाग लेना तथा सहयोग देना।
3. ट्रस्ट के उद्देश्यों के प्रति पूर्ण आस्थावान रहते हुए ट्रस्ट की गरिमा बनाये रखने में अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए तत्पर रहना।

7. सभायें –

ट्रस्ट की दो प्रकार की सभायें होंगी।

1. साधारण सभा
2. प्रबन्धकारिणी सभा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

13

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AD 733877

8. ट्रस्ट की साधारण सभा का गठन –

ट्रस्ट की साधारण सभा का गठन फाउन्डर ट्रस्टी व साधारण सदस्यों को मिलाकर होगा।

9. साधारण सभा की बैठकें –

1. साधारण सभा की वर्ष में कम से कम दो बैठक होंगी, जिसमें अन्तिम बैठक वार्षिक बैठक कहलायेगी। बैठक की सूचना समस्त सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व दी जायेगी। बैठक की कार्यवाही सदस्यों के एक तिहाई भाग से कम की अनुपस्थिति में नहीं होगी।

2. किसी भी बैठक में विवाद होने पर अथवा उपस्थित सदस्यों के पक्ष व विपक्ष के समान मत होने पर, संरक्षक द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

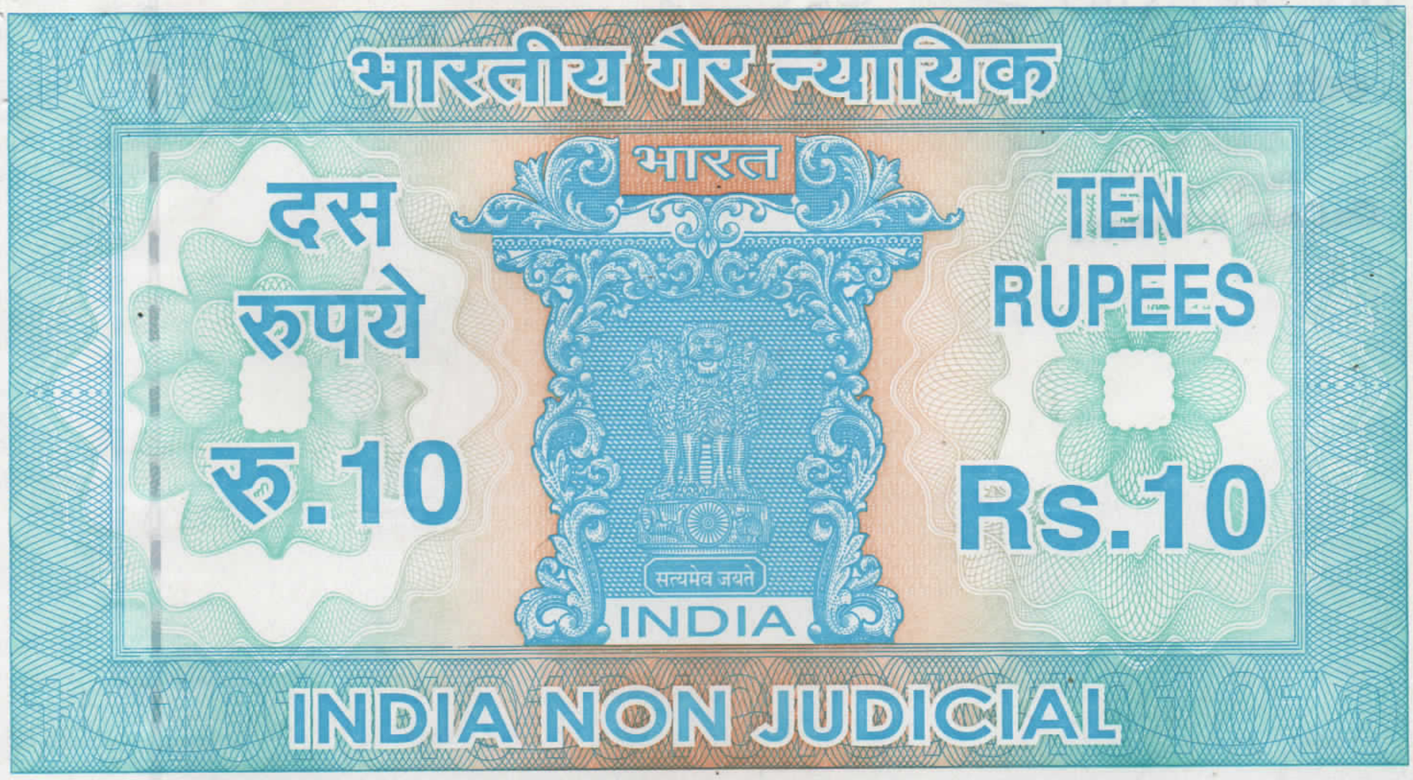

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AD 733878

10. **प्रबन्धकारिणी समिति का गठन –**

ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति का गठन फाउन्डर ट्रस्टियों के द्वारा होगा, जिनकी संख्या स्मषति–पत्र के अनुसार सात है।

11. **प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकें –**

1. प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकें वर्ष में कम से कम चार होंगी तथा दो बैठकों का अन्तर चार माह से अधिक नहीं होगा।

2. वर्ष की अन्तिम बैठक, वार्षिक बैठक कहलायेगी जिसमें ट्रस्ट के समस्त कार्यकलापों की रिपोर्ट सचिव द्वारा प्रस्तुत की जायेगी व आगामी वर्ष के आय, व्यय के तथा कार्यों की रूपरेखा तय की जायेगी।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AD 733879

3. किन्हीं विषेश या आवश्यक परिस्थितियों में समिति का कोई भी सदस्य सचिव, यदि वह उपलब्ध न हों, तो अध्यक्ष से समिति की बैठक बुलाने के लिए लिखितरूप से निवेदन कर सकता है। परन्तु ऐसे निवेदन पर समिति के कम से कम दो तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे।

4. उपरोक्त दशा में सचिव या अध्यक्ष समिति की बैठक को निवेदन किये जाने की दिनांक से एक सप्ताह में बुलायेगा।

5. साधारण वार्षिक बैठकों अथवा विशेष या आपातकालीन बैठक में, समिति के कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति से बैठक का कोरम पूरा माना जायेगा। कोरम के अभाव में स्थगित बैठक के पश्चात् होनेवाली बैठक में, कोरम का पूरा होना आवश्यक न होगा।

6. किसी भी बैठक में विवाद होने पर अथवा उपस्थित सदस्यों के पक्ष व विपक्ष के समान मत होने पर, संरक्षक द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 16 33AD 733880

12. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य –

1. अध्यक्ष

1. अध्यक्ष ट्रस्ट का मुख्य प्रतिष्ठावान अधिकारी होगा और ट्रस्ट की समस्त बैठकों में जिनमें वह उपस्थित होगा, सभापतित्व करेगा।

2. ट्रस्ट के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतु वैतनिक कर्मचारियों की तथा अवैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना।

3. ट्रस्ट के कार्यों के लिए पचास हजार रुपये तक व्यय करने का बिना पूर्व स्वीकृति के अधिकार होगा। आवश्यकता होने पर पचास हजार रुपये से अधिक के व्यय सचिव की सलाह से किये जा सकते हैं परन्तु ऐसे व्यय को अगली बैठक में अनुमोदित कराना आवश्यक होगा।

4. ट्रस्ट के दस्तावेजों पर सचिव के साथ हस्ताक्षर करेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 33AD 733881

2. उपाध्यक्ष

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के समस्त अधिकार व कर्तव्य प्राप्त होंगे।

3. सचिव

1. सचिव ट्रस्ट का मुख्य कार्याधिकारी होगा तथा कार्यों के संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व उस पर होगा।

2. ट्रस्ट के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने हेतु वैतनिक कर्मचारियों की तथा अवैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना।

3. ट्रस्ट के समस्त रिकार्ड को सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व होगा।

4. ट्रस्ट के कार्यों के लिए तीस हजार रुपये तक व्यय करने का बिना पूर्व स्वीकषति के अधिकार होगा। आवश्यकता होने पर तीस हजार रुपये से अधिक के व्यय अध्यक्ष की सलाह से किये जा सकते हैं परन्तु सभी व्यय को अगली बैठक में अनुमोदित कराना आवश्यक होगा।

5. कोषाध्यक्ष द्वारा रखे गये लेखा–जोखा का निरीक्षण करना तथा अंकेक्षण करवाकर समिति के समक्ष प्रतिवर्ष आडिट रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करना।

6. समय–समय पर आम सभा व प्रबन्धकारिणी सभा की बैठकों का आयोजन करना व सदस्यों को उसकी सूचना देना व उसकी कार्यवाही देखना।

7. कानूनी मामलों में ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व ट्रस्ट के सचिव करेंगे तथा न्याय क्षेत्र एटा होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

18

33AD 733883

8. ट्रस्ट से सम्बन्धित समस्त पत्र व्यवहार करना व दस्तावेजों पर अध्यक्ष के साथ व स्वयं हस्ताक्षर करना।

4. उपसचिव

सचिव की अनुपस्थिति में उपसचिव को सचिव के समस्त अधिकार व कर्तव्य प्राप्त होंगें।

5. कोषाध्यक्ष

1. ट्रस्ट के आय–व्यय का हिसाब किताब रखना।
2. ट्रस्ट के आय–व्यय की जाँच आडिटरों से कराना एवं आडिट रिपोर्ट प्राप्त करना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये
रु.10

TEN RUPEES
Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AD 733884

13. <u>ट्रस्ट की सम्पत्ति की व्यवस्था–</u>

ट्रस्ट की समस्त चल व अचल सम्पत्ति का तथा उससे उपार्जित आय का उपायोग व उपभोग सदैव सिर्फ ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही किया जायेगा तथा किसी भी ट्रस्टी अथवा सदस्य को इसको अपने निजी उपयोग या उपभोग में लाने का अधिकार नहीं होगा। ट्रस्ट की समस्त चल व अचल सम्पत्ति का अधिकार पूर्णतः प्रबन्धकारिणी समिति में निहित होगा। प्रबन्धकारिणी समिति ही उनकी पूर्ण स्वामिनी होगी। प्रबन्धकारिणी समिति किसी भी बैंक में ट्रस्ट के नाम से खाता खोल सकती है, जिसका परिचालन अध्यक्ष, सचिव तथा कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों के द्वारा होगा। यदि प्रबन्धकारिणी समिति चाहे तो तीन चौथाई बहुमत के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति अथवा पदाधिकारी को बैंक खाता परिचालन हेतु प्राधिकष्त कर सकती है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

20

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AD 733885

14. आडिट–

ट्रस्ट अपने वार्षिक आय–व्यय आदि का आडिट किसी चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा करायेगा।

15. सलाहकार समिति का गठन –

प्रबन्धकारिणी समिति चाहे तो ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक सलाहकार समिति का गठन भी कर सकती है। जिसमें अधिकतम सात सदस्य होंगे। सलाहकार समिति का चयनित सदस्य भारतीय मूल का होना चाहिये तथा भारतीय संविधान व भारतीय संस्कृति तथा सत्य व अहिंसा के सर्वमान्य सिद्धान्तों में आस्था रखनेवाला होना चाहिये। सलाहकार समिति का कोई भी सदस्य ट्रस्ट से कोई भी वेतन, भत्ता अथवा व्यय आदि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। सलाहकार समिति की किसी भी सलाह अथवा निर्णय को मानने के लिए ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति बाध्य नहीं होगी।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

33AD 733886

16. **ट्रस्ट के नियमों व विनियमों में संशोधन –**

ट्रस्ट के उचित संचालन के लिये उपरोक्त नियमावली में कोई भी संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन प्रबन्धकारिणी समिति के द्वारा दो तिहाई बहुमत के आधार पर किया जा सकता है।

17. **ट्रस्ट का विघटन–**

किसी भी दषा में ट्रस्ट का विघटन आवश्यक होने पर, ट्रस्ट की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण साधारण सभा के तीन चौथाई बहुमत से ऐसी सामाजिक / धार्मिक / शैक्षणिक संस्था / चैरिटेबिल चिकित्सालय अथवा अनाथालय आदि को हो जायेगा जिसके उद्देश्य इस ट्रस्ट के स्मृति–पत्र में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप हों। कोई भी फाउन्डर ट्रस्टी अथवा सदस्य अथवा उसका परिवारीजन ट्रस्ट की किसी भी चल व अचल सम्पत्ति को अपने निजी उपयोग में नहीं ले सकता है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 22 33AD 733887

स्थान :–एटा(उत्तर प्रदेष)

गवाह– शशिकान्त पुत्र श्री हरनरायन निवासी निधोली रोड एटा।

मो0नं0 9456035099

गवाह– इकलेश यादव पुत्र स्व0 श्री उदयवीर सिह निवासी रामनगर एटा।

मो0नं0 9568100527

तहरीर दिनांक 17.05.2018

ड्राफ्टकर्ता शशिकान्त बैनामा लेखक

तहसील सदर एटा